तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.04.26	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थिनी के वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलसुदा प्राप्त। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थिनी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थिनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हेमावास तहसील सिवाना की खसरा संख्या 383 रकबा 2.2053 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/— रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थिनी मौके पर अदा करें आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2026 / 3637 दिनांक : 10·04·2026

प्रार्थिनी	बनाम	विप्रार्थीगण
शान्तिदेवी पत्नी बादरराम वगैरा		तेजाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं.53 / 2026 दिनांक :– 10.04.2026

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम हेमावास तहसील सिवाना की खसरा संख्या 383 रकबा 2.2053 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 /–प्रार्थिनी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2026 / 3638 दिनांक : 10·04·2026

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी सैला तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थिनी शांतिदेवी पत्नी बादरराम जाति सैन निवासी हेमावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)